कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थाएँ) राजसमन्द, राजस्थान

=========

कार्यालय आदेश

== ==

इस कार्यालय के द्वारा गठित मान्यता निरीक्षण दल एवं मान्यता निरीक्षण प्रतिवेदन ~~[illegible]~~ समीक्षा समिति की अभिशंषा के आधार पर जी जी एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी - नाथद्वारा ---- संस्था द्वारा संचालित विद्यालय जी जी पब्लिक स्कूल - नाथद्वारा ---------- (स्थान) तहसील नाथद्वारा ---------- जिला राजसमन्द को उच्च प्राथमिक/~~प्राथमिक~~ की सत्र 1994-95 से स्थायी मान्यता (हिन्दी माध्यम) प्रदान की जाती हैं ।

निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन मान्यता नियम अप्रेल 1993 के परिशिष्ट-2 में अंकित भौतिक एवं वित्तीय मान दण्डो एवं शर्तों की पालना करे एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं नियमों की भी पालना करे ।

उक्त नियमों की अवहेलना पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के मान्यता निरस्त की जा सकती हैं ।

Sd/-

जिला शिक्षा अधिकारी

(छात्र-संस्थाएँ) राजसमन्द

क्रमांक:-जिशिअ/राजस/छात्र/मान्य/94-95/36-38 दिनांक: 5 APR 1995

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1-श्री मान् निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।

2-श्री मान् शिक्षा उप निदेशक (पुरुष/महिला) उदयपुर मण्डल उदयपुर ।

3-श्री जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि/छात्रा) राजसमन्द

4-श्री व्यवस्थापक/संचालक जी जी एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी - नाथद्वारा द्वारा- जी जी पब्लिक स्कूल - नाथद्वारा

जिला शिक्षा अधिकारी

(छात्र-संस्थाएँ) राजसमन्द

पगारिया आरके/

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

क्रमांक: शिविरा/माध्य/अ-4/21351 E/2002-2003 दिनांक: 2-4-02

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अजमेर ।

विषय:- गैर सरकारी संस्था श्री जी पब्लिक माध्यमिक विधालय, नाथद्वारा को सीनियर माध्यमिक विधालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति हेतु ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक प.18(2)शिक्षा 5/2002 दिनांक 30.3.2002 के द्वारा अनुमोदन के पश्चात गैर सरकारी संस्था श्री जी पब्लिक माध्यमिक विधालय, नाथद्वारा(राजसमंद) को शिक्षा सत्र 2002-2003 से विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर (अंग्रेजी माध्यम से) क्रमोन्नत करने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1) संस्था अनुदान की मांग नहीं करेगी ।
2) संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जावेगा ।
3) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना की जावेगी ।
4) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों व निर्देशों की पालना करनी होगी ।
5) मान्यता हेतु एवं नये विषय प्रारंभ करने हेतु संस्था द्वारा निर्धारित फिस सक्षम कार्यालय में जमा करानी होगी ।
6) पहले वर्ष में कक्षा 11 एवं उसके बाद कक्षा 12 प्रारंभ की जावेगी ।
7) अतिरिक्तविषय एवं संकाय के लिए संस्था को पर्याप्त भवन एवं प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करनी होगी । यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय उसमें कोताही बरती गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए विधमान नियमों में अन्य आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जावेगा ।
8) इन संकायों हेतु निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा एवं भवन सुरक्षा के संबंध में प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र लेना होगा ।
9) विधालय के पते/स्थान में बिना किसी विभागीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।
10) नियमानुसार पी. एफ काटना होगा ।

(पी.के.गोयल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1) उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.18(2)शिक्षा-5/2002 दिनांक 30.3.2002 के क्रम में सूचनार्थ ।
2) जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), राजसमन्द ।
3) श्री जी पब्लिक मा. विधालय, नाथद्वारा(राजसमन्द) ।
4) प्रभाग प्रभारी अ-1/अ-2-3

उपनिदेशक(माध्यमिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

:: आदेश ::

संलग्न सूची के अनुसार गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2003-04 से विद्यालय के सामने अंकित विषय/वर्ग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना करनी होगी ।
2. स्वीकृति ________ के वर्ष में कक्षा-11 एवं द्वितीय वर्ष में कक्षा-12 प्रारंभ की जावेगी ।
3. नियमानुसार न्यूनतम छात्र/छात्राओं का प्रवेश वांछनीय है ।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु प्रपत्र (क) शीघ्र हो प्राप्त कर अग्रेषण हेतु इस कार्यालय को चार प्रतियों में भिजवावें ।
5. विद्यालय संचालन हेतु किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा तथा संस्था को अपने स्तर पर बोर्ड मान्यता शर्तों की पूर्ति करनी होगी ।
6. विभागीय नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी ।
7. विद्यालय का पता/नाम/भवन बिना विभागीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।
8. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के विनियमों व निर्देशों की पालना करनी होगी ।
9. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम-1993 के नियम-21 के तहत संस्था के कार्यकलापों पर समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की दृष्टि से शिक्षा निदेशक/राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी पूर्व नोटिस के बिना किसी भी संस्था का या उसके किसी भी भाग का निरीक्षण कर सकेगा । संस्था ऐसे निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए अपना अभिलेख उपलब्ध करायेगी ।

संलग्न :- सूची

(अपर्णा अरोरा)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर ।

क्रमांक: शिविरा/माध्य/माध्यमिक/अ-2-3/विषय/वर्ग/2003-04 दिनांक: 25.6.03

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1) विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
3) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4) संबंधित संस्था प्रधान
5) रक्षित पत्रावली

सहायक निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर ।

गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विधालय में स्वीकृत विषय/वर्ग (सत्र 2003-04)

क्रसं	नाम विधालय	स्वीकृत विषय/वर्ग	जिला
1.	श्री मॉडर्न हैप्पी सी.मा. विधालय सेक्टर नम्बर 10, मालवीयनगर, जयपुर ।	विज्ञान - 1) जीवविज्ञान 2) भौतिक विज्ञान 3) रसायनविज्ञान 4) गणित	जयपुर
2.	प्रेरणा सी.मा. विधालय 781, रामनगर, शास्त्रीनगर जयपुर ।	विज्ञान - 1) भौतिक विज्ञान 2) रसायन विज्ञान 3) जीव विज्ञान 4) गणित	जयपुर
3.	टैगोर विधाभवन उ.मा. विधालय डी-185 से 188, टैगोर मार्ग, अम्बावाड़ी, जयपुर ।	कलावर्ग- 1) अंग्रेजी (साहित्य) 2) गृहविज्ञान 3) इतिहास 4) राजनीति विज्ञान	जयपुर
4.	टैगोर विधाभवन उ.मा. विधालय स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर ।	कलावर्ग- 1) इतिहास 2) राजनीति विज्ञान वाणिज्य-1) व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी	जयपुर
5.	गांधी बालनिकेतन सी.मा. विधालय पथ नं. 6-7, विजयबाड़ी, टेहर के बालाजी, सीकर रोड जयपुर ।	वाणिज्य-1) लेखाशास्त्र 2) व्यावसायिक संगठन 3) आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन 4) टंकण (हिन्दी/अंग्रेजी)	जयपुर
6.	जय दुर्गा सी.मा. विधालय 3, शंकरनगर, आमेररोड़, जयपुर ।	विज्ञान - 1) भौतिक विज्ञान 2) रसायन विज्ञान 3) जीव विज्ञान 4) गणित	जयपुर
7.	सेन्ट ब्राइटमून सी.मा. विधालय आर्यनगर, मुरलीपुरा, जयपुर ।	कलावर्ग - 1) विशेष हिन्दी 2) इतिहास 3) गृहविज्ञान 4) भूगोल 5) संस्कृत साहित्य विज्ञान - 1) भौतिक विज्ञान 2) रसायन विज्ञान 3) जीव विज्ञान 4) गणित	जयपुर
8.	एम.के. पब्लिक स्कूल (सी.मा. विधालय) आर्यनगर, मुरलीपुरा, जयपुर ।	कला वर्ग - 1) भूगोल	जयपुर

[signature]

गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विधालय में स्वीकृत विषय/वर्ग (सत्र 2003-04)

क्रसं	विधालय का नाम	स्वीकृत विषय/वर्ग		जिला
29.	श्री जी पब्लिक सी.मा. विधालय नाथद्वारा (राजसमन्द)	वाणिज्य- (अंग्रेजी माध्यम)	1) लेखाशास्त्र 2) व्यावसायिक प्रबंध 3) व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी 4) आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन	राजसमन्द
30	विधाभवन सी.मा. विधालय उदयपुर ।	वाणिज्य-	1) लेखाशास्त्र 2) व्यावसायिक संगठन 3) व्यावसायिक गणित एंव सांख्यिकी 4) आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन	उदयपुर
31.	श्री मिश्रीलाल दुबे उ.मा. विधालय पटेल मैदान, काजीपुरा केकड़ी (अजमेर)	कला -	1) राजनीति विज्ञान 2) हिन्दी 3) संस्कृत 4) चित्रकला 5) संगीत	अजमेर
32.	श्रीमती कंचनदेवी जैन उ.मा. विधालय, मेवाड़ी गेट के बाहर कड़ीवालान मार्ग ब्यावर (अजमेर)	कलावर्ग-	1) राजनीति विज्ञान 2) भुगोल 3) इतिहास	अजमेर
33.	जूपिटर उ.मा. विधालय आर्यसमाज रोड़, हिन्दु धर्मशाला के पास मंगलेश्वर महादेव मंदिर के पास गुलाबबाड़ी, कोटा ।	कलावर्ग -	1) अंग्रेजी साहित्य 2) समाज शास्त्र 3) लोकप्रशासन 4) संगीत (कण्ठ)	कोटा
		विज्ञान -	1) भौतिक विज्ञान 2) रसायन विज्ञान 3) जीव विज्ञान 4) गणित	
34.	मारवाड़ मिशन उ.मा. विधालय परबतसर (नागौर)	कलावर्ग-	1) हिन्दी साहित्य 2) राजनीति विज्ञान 3) गृहविज्ञान 4) इतिहास 5) भुगोल 6) संस्कृत साहित्य	नागौर
35.	बालनिकेतन उ.मा. विधालय रानी बजार, बीकानेर	कलावर्ग -	1) हिन्दी साहित्य 2) संस्कृत 3) राजनीति विज्ञान 4) इतिहास 5) अर्थशास्त्र 6) अंग्रेजी साहित्य	बीकानेर
		वाणिज्य-	1) कम्प्यूटर विज्ञान 2) गणित	

—arcriNY

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद राजस्थान

जिला कलेक्ट्रट कमरा नम्बर 218 व 219

ग्राम : फोन : 02952 221547

ई–मेल : **rajsamanddeo@gmail.com** प्रारूप –2 फैक्स : 02952 221547

क्रमांक : जिशिअ / प्राशि / राजस / शैप्र0 / 11 / आरटीई / 95 दिनांक : 31.1.12

प्रबन्धक / व्यवस्थापक
श्री जी एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर
सोसायटी, नाथद्वारा

विषय :निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवाय बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 10.10.11 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं श्री जी पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, नाथद्वारा प.स. खमनोर जिला-राजसमंद (विद्यालय का नाम पते सहित) को सत्र 2011-12 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित

शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7 **विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–**

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार हैं :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्र	15565
कुल निर्मित क्षेत्र	10560
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	
कक्षा कमरों की संख्या	30
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष	4
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	5-5
पेयजल सुविधा	नल
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	1
बाधा रहित पहुंच	हां
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	संलग्न सूची अनुसार

11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद को भेजी जानी चाहिए।

16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक...30...........है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19 संलग्न उपाबंध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा राजसमंद

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा राजसमन्द

कार्यालय पता : बालिका छात्रावास, कोयड़ भीलवाडा रोड़ कांकरोली

Phone : 02952-231547 E-mail : rajsamanddeo@gmail.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

क्रमांक : जिशिअ / मु0 / प्राशि / राजस / आरटीई / 2022 / 1317 दिनांक : – 25.05.2022.

प्रबंधक / व्यवस्थापक / संस्था प्रधान
श्रीजी पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कुल नाथद्वारा

विषय :– आरटीई मान्यता के संबध में।
प्रसंग :– श्रीमान् आपका पत्र दिनांक 25.05.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन आपके विद्यालय को प्रारूप 02 के अन्तर्गत सत्र 2011–12 से तीन वर्ष की अवधि हेतु मान्यता प्रदान की गई थी उक्त के क्रम में लेख है कि श्रीमान् वरिष्ठ शासन उप सचिव स्कूल शिक्षा ग्रुप 05 के पत्र दिनांक 05.03.2018 एवं श्रीमान् निदेशक महोदय प्राशि राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक 87 दिनांक 24.04.2018 में वर्णित बिन्दु संख्या 02 में जिन गैर सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण उपरान्त मान एवं मानक पूर्ण थे उनकी मान्यता स्थाई मानी जावे के संबधित निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबध में स्थानीय कार्यालय द्वारा विश्लेषण करने पर पाया गया की निरीक्षण दल द्वारा आपके विद्यालय के संबध मे आरटीई मान्यता हेतु मान एवं मानक पूर्ण पाये गये।

अतः प्रासंगिक पत्रो मे प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आपके विद्यालय को स्थानीय कार्यालय के पत्रांक जिशिअ / प्राशि / राजस / शैप्र / 11 / आरटीई / 95 दिनांक 31.01.2012 द्वारा **प्रारूप 02 के अन्तर्गत जारी मान्यता प्रमाण पत्र को स्थाई किया जाता है।** उक्त आदेश आज दिनांक 25.05.2022 के पश्चात एवं पूर्व की अवधि / सत्रों (तीन वर्ष तक जारी अस्थाई मान्यता के पूर्ण होने के पश्चात) हेतु मान्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्राशि राजसमन्द
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा. शि. राजसमन्द

प्रतिलिपि :–

01. श्रीमान् निदेशक महोदय प्राशि राजस्थान बीकानेर।
02. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्राशि राजसमन्द
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा. शि. राजसमन्द

CERTIFICATE OF RECOGNITION

DISTRICT EDUCATION OFFICER
RAJSAMAND
(Name & Address of the issuing authority)

No. DEEO/Ele/Gen./428 Date: 17.10.22

To

SHREE JEE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL (P31035)
VILL. MODWA, G/P - KOTHARIA, BLOCK - KHAMNOR,
TEH - NATHDWARA, DISTT. RAJSAMAND
(Name & Address of the school)

Sir/ Madam,

Sub: Recognition Certificate for the school under 1989 and 1993 APPENDIX-2 (Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules).

Ref:

With reference to your application dated .... and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to SHREE JEE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL (P31035) VILL: MODWA; G/P - KOTHARIA, BLOCK - KHAMNOR (Name & Address of school) for **class I to VIII** standard for the period PERMANENT (no. of years) from the academic year 1994-95 to PERMANENT in compliance to section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & rule 1989 & 1993 APPENDIX-2 of RAJSAMAND...... (State Act/ Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year 1994-95 to PERMANENT and is to be renewed at an interval of every .... years.
2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the 1989 & 1993 AMENDMENT and RULE-24 (State Education Act/ Rules).
4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of ...... (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
7. The school shall not deny admission to any child, -
    a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
    b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
8. The school shall ensure that,-
    a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
    b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
    c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
    d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the R.T.E. ACT-2009 (rule/ clause of State Act).
    e. The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under RTE ACT-2009 (rule/ clause of the state Act).
    f. The teachers perform his duties specified under .... (rule/ clause of the state Act).
9. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
10. The school shall maintain the standards and norms as specified in .... (rule/ clause of the state Act).
11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
13. The school is run by a society registered under the ACT-1958..... (Act under with Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
17. HINDI & ENGLISH .... (language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under R.T.E. ACT-2009 (concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.

18. The school shall abided by the provisions of the RTE ACT - 2009 (State Act/ Rules).
19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.
20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or administration by the authorities.
21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this D.E.O... RAJSAMAND (Name & Address of the certificate issuing authority).
22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department form time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall administration of the school.
23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule or the conditions of recognition are found and proved.
24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the OFFICE OF..... (Concerned State Authority).
SECONDARY EDUCATION, RAJASTHAN
BIKANER

Seal & Signature of issuing authority ....

Name & Address of issuing authority ....

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**